बजट अनुमान 2005-2006

वर्ष 2005–2006 के बजट अनुमान संशोधित अनुमानों की तुलना में राष्ट्रीय लघु बचत निधि की देनदारियों की वापसी-अदायगी को छोड़कर 70,221 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि दिखाते हैं। जबकि आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि 35,108 करोड़ रुपए है। आयोजना व्यय के अधीन 35,113 करोड़ रुपए की वृद्दि है जिसमें से 27,856 करोड़ रुपए केन्द्रीय आयोजना पर व्यय के लिए हैं और 7,257 करोड़ रुपए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता पर व्यय के लिए है। विवरण 16 में दर्शाई गई राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता में बाजार ऋणों के लिए 29,003.22 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी वार्षिक योजना के वित्तपोषण हेतु जुटाया जाएगा। आयोजना-भिन्न और आयोजना अनुमानों में मुख्य मदों की घट-बढ़ को नीचे सारणी में दिया गया हैः-

(करोड़ रुपए)

	संशोधित 2003-04	बजट 2004-05	घट-बढ़
आयोजना-भिन्न			
1. ब्याज संदाय	125905	133945	(+) 8040
2. राज्यों को योजना-भिन्न अनुदान	14144	33269	(+) 19125
3. रक्षा	77000	83000	(+) 6000
4. पुलिस	10542	12237	(+) 1695
5. पेंशन	18338	19542	(+) 1204
6. योजना-भिन्न पूंजी परिव्यय	3354	4460	(+) 1106
7. उर्वरक सब्सिडी	15662	16254	(+) 592
8. खाद्य सब्सिडी	25800	26200	(+) 400
9. बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	1636	2228	(+) 592
10. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	43358	39712	(-) 3646
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	**335739**	**370847**	**(+) 35108**
आयोजना			
1. केन्द्रीय आयोजना	82529	110385	(+) 27856
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	54858	62115*	(+) 7257
जोड़ (आयोजना) व्यय	**137387**	**172500**	**(+) 35113**

* बारहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऋणों के लिए 29,003.22 करोड़ रुपए की राशि शामिल की गयी है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बाजार ऋणों के रूप में जुटाया जाएगा।

आयोजना-भिन्न

1. राज्य व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण संसाधनों पर निरंतर निर्भरता के कारण यह वृद्धि हुई है। इसमें बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत ऋणों की ब्याज अदायगियां भी सम्मलित हैं।
2. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभाव के कारण राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदानों तथा राज्यों को वैट के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु।
3. संवर्धित प्रावधान वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु तथा संविदागत देयताओं और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के कारण रखा गया है।
4. सामान्य विकास, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को विशेष सहायता तथा सीमा चौकसियों के रखरखाव के लिए यह वृद्धि की गई है।
5. यह वृद्धि मुख्यतः पेंशनरों की संख्या के सामान्य वृद्धि तथा महंगाई राहत की दो किश्तों के कारण है।
6. यह वृद्धि मुख्यतः सीमा पर विभिन्न कार्यों जिनमें कांटेदार बाड़ लगाना, सड़कों तथा सीमा पर चौकियों के निर्माण कार्यों तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों द्वारा उपस्करों की खरीद करना शामिल है, के कारण हुई है।
7. यह वृद्धि उर्वरकों की जरूरत में प्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण है।
8. सामान्य बढ़ोतरी।
9. यह वृद्धि संघ राज्य क्षेत्र अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में सुनामी संबंधी राहत कार्य हेतु प्रावधान के कारण है।

आयोजना

1. यह वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक क्षेत्र, विशेषकर बुनियादी शिक्षा तथा साक्षरता (सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास (राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना), कृषि तथा वास्तविक आधारभूत ढांचे विशेष कर सड़कों के लिए संवर्धित आबंटन के कारण है।
2. यह वृद्धि मुख्यतः संवर्धित सामान्य केन्द्रीय सहायता तथा राष्ट्रीय सम विभाग योजना, जिसे अब पिछड़ा जिला/क्षेत्र निधि का नया नाम दिया गया है, के लिए संवर्धित प्रावधान, जनजातीय उप-योजना त्वरित सिंचाई लाभ योजना, सड़कों, पुलों तथा स्लम विभाग हेतु शहरी नवीकरण उप-मिशन तथा शहरी आधारभूत ढांचा और परिवहन हेतु शहरी नवीकरण उप-मिशन हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण है।